प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 27 जून, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजेन्द्र पुत्र श्री रामफूल, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री रामफूल, खेडी, थाना-दादरी, जनपद-गौतमबुद्धनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा रतिराम द्वारा सोने के कंगन वापस नहीं दे पाने के कारण दिनांक 27.06.1981 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रतिराम को मारपीट कर कुएं में फेंक दिया, जिसकी पानी में डूबने के कारण मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-183/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-05, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 20.01.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.09.2004 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 08.04.2009 द्वारा सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.01.2023 तक अपरिहार 06 वर्ष, 06 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 01 माह, 06 दिन की सजा काटी गयी है। पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने से इंकार नहीं किये जाने, बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा दिनांक 10.01.2023 तक अपरिहार 06 वर्ष, 06 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 01 माह, 06 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजेन्द्र (बन्दी संख्या-10279) पुत्र श्री रामफूल, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-651/2025/1799(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।

2- अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।